उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

की

सिविल लाइन्स योजना संख्या-2 भाग-2 बदायूँ

में तृतीय चरण के अन्तर्गत, आवासीय भूखंडों एवं
स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत, 27/40 प्रकार के, 42/72 प्रकार के,
62/128 प्रकार के, 85/162 प्रकार के
एवं 75/200 प्रकार के सेमी फिनिश्ड भवनों को प्राप्त करने का

सुनहरा अवसर

पंजीकरण पुस्तिका

रेरा पंजीकरण संख्या : UPRERAPRJ301018
WEBSITE : www.up-rera.in/projects

IS 15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

वेबसाइट : http://www.upavp.in ई–मेल : info@upavp.com

जन सुविधा केन्द्र : 0522-2236803 टोल फ्री नं.: 1800-180-5333

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

SQMS

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

एक परिचय

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढ़ंग से क्रियान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास सम्बन्धी कार्यों में समन्वय लाने का उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य

(अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास सम्बन्धी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।

(स) भूमि अर्जित करना एवं आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित कर उनको आवंटित करना।

(द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतन्त्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।

(ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शॉपिंग कॉम्पलैक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।

(न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफैक्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।

(फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं से वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे विद्युत आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालय एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित होती हैं।

परिषद जन–साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराती है।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिए पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जायेगा।

सिविल लाइन्स योजना संख्या- 2 भाग 2 बदायूँ

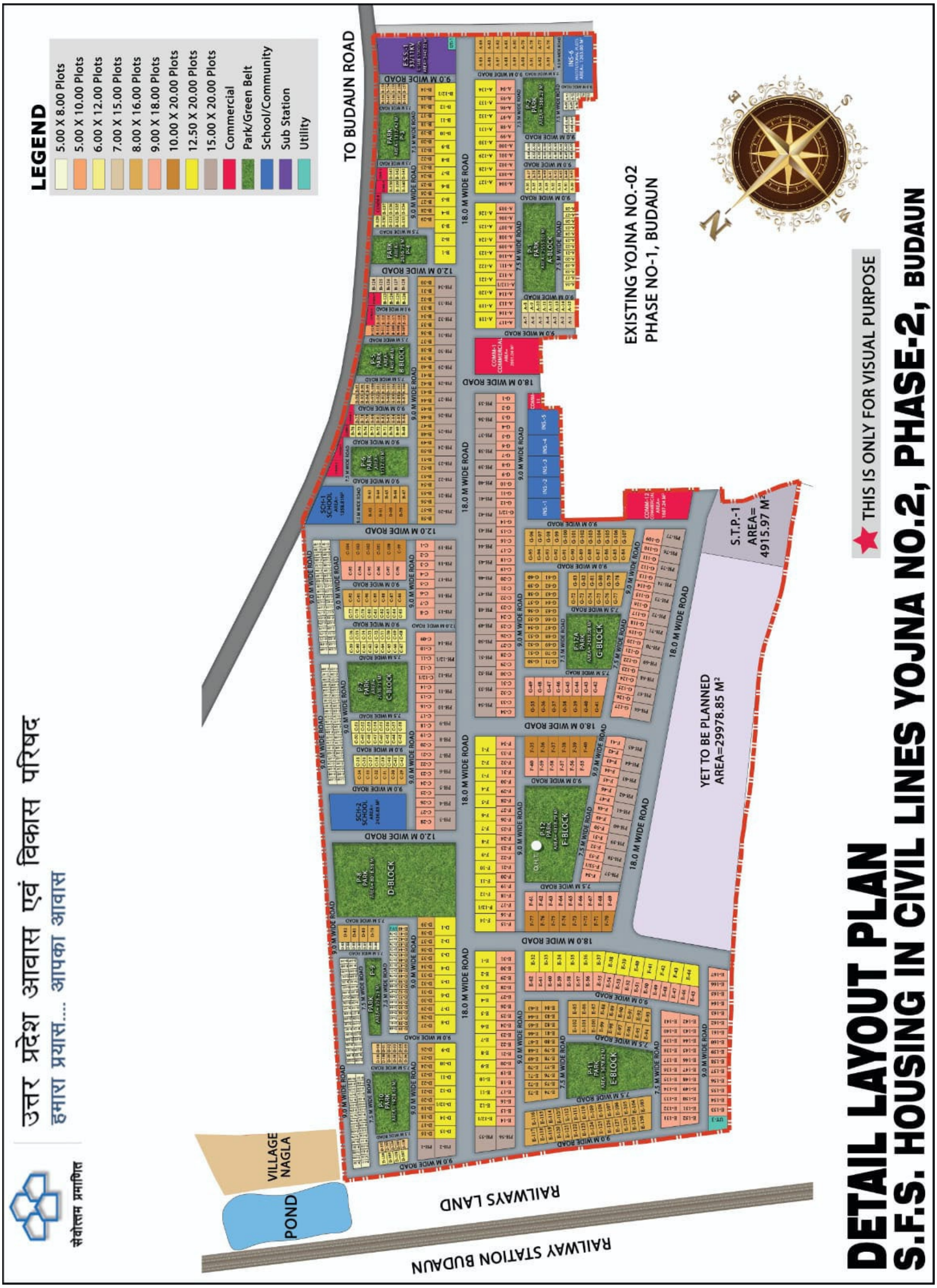

अवास विकास - सुनियोजित विकास

सेवोत्तम प्रमाणित

प्रमुख आकर्षण

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सिविल लाईन्स योजना सं0–2 भाग–2 फरूखाबाद मार्ग पर बदायूँ में स्थित है। यह नवीनतम आवासीय परियोजना वर्ष 1982 से संचालित है। योजना का कुल क्षेत्रफल 135 एकड़ है। योजना के मुख्य आकर्षण निम्नवत् है :–

- ✓ अवागमन हेतु बदायूँ रेलवे स्टेशन के निकट।
- ✓ कलेक्ट्रट कार्यालय 1 किमी की सीमा में स्थित।
- ✓ विकास भवन 500 मीटर की सीमा में स्थित।
- ✓ बदायॅू मेडिकल कालेज 5 किमी की सीमा में स्थित।
- ✓ योजना के मध्य भारतीय जीवन निगम कार्यालय, बैंक, डिग्री कालेज तथा अन्य कार्यालय स्थित।
- ✓ परिषद के उपखण्ड कार्यालय एवं सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय योजना के मध्य स्थित।
- ✓ व्यवसायिक गतिविधियों हेतु पर्याप्त प्रबन्ध किया गया है।
- ✓ योजना नागरिक सुविधाओं युक्त।
- ✓ रोडवेज बस स्टैड 1 किमी की सीमा में।
- ✓ मुख्य बाजार 1 किमी की सीमा में।

भूखण्डों का विवरण

क्रम. सं.	योजना का नाम	भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	भूखण्डों की संख्या	मानक का मूल्य (रू0 लाख में)	पार्क फे. सिंग का मूल्य (रू0 लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रू0 लाख में)		आवंटन के उपरान्त पंजीकरण धनराशि समायोजित करते हुये एक माह में जमा की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)		आवंटन/विकय करार के उपरान्त समायोजित करते हुये एक माह में जमा की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)		अवशेष धनराशि 12 त्रैमासिक किश्तो में (रू0 लाख में)		अवशेष धनराशि 12 त्रैमासिक किश्तो में (रू0 लाख में)	
								सामान्य श्रेणी		आरक्षित श्रेणी		सामान्य श्रेणी		आरक्षित श्रेणी	
						सामान्य श्रेणी	आरक्षण श्रेणी	मानक	पार्क फेसिंग	मानक	पार्क फेसिंग	मानक	पार्क फेसिंग	मानक	पार्क फेसिंग
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	सिविल लाइन्स योजना सं0–2 भाग–2 बदायूँ	40	31	6.83	7.17	0.34	0.17	3.07	3.24	3.24	3.41	0.28	0.30	0.28	0.30
2		50	8	8.52	8.94	0.43	0.21	3.83	4.04	4.05	4.26	0.36	0.37	0.36	0.37
3		72	2	12.23	12.83	0.61	0.31	5.50	5.80	5.81	6.11	0.51	0.53	0.51	0.53
4		128	30	21.66	22.74	1.08	0.54	9.75	10.29	10.29	10.83	0.90	0.95	0.90	0.95
5		162	24	27.39	28.76	1.37	0.68	12.33	13.01	13.01	13.70	1.14	1.20	1.14	1.20
6		250	29	42.22	44.32	2.11	1.06	19.00	20.05	20.05	21.10	1.76	1.85	1.76	1.85
कुल योग			127												

विशेष नोट– योजना में विक्रय हेतु प्रस्तावित भवनो/भूखण्डो के क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाने के उपरान्त कार्नर इत्यादि के भवनो/भूखण्डो की स्थिति में क्षेत्रफल में परिवर्तन की दशा में वास्तविक माप के आधार पर भवनो/भूखण्डो के घोषित विक्रय मूल्य में संशोधन किया जायेगा।

27/40 प्रकार के, 42/72 प्रकार के, 62/128 प्रकार के, 85/162 प्रकार के 75/200 प्रकार के स्ववित्त पोषित भवनो का विवरण

क्रम. सं.	योजना का नाम	भवनो का प्रकार	भवनों की संख्या	प्लिंथ एरिया वर्ग मीटर में	मानक का मूल्य (रु0 लाख में)	पार्क फेसिंग का मूल्य (रु0 लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु0 लाख में)		पात्रता चयन/आवंटन के उपरान्त पंजीकरण धनराशि समायोजित करते हुये एक माह में जमा की जाने वाली धनराशि		पात्रता चयन/आवंटन के उपरान्त पंजीकरण धनराशि समायोजित करते हुये एक माह में जमा की जाने वाली धनराशि		अवशेष धनराशि 12 त्रैमासिक किश्तो में (रु0 लाख में)		अवशेष धनराशि 12 त्रैमासिक किश्तो में (रु0 लाख में)	
									सामान्य श्रेणी		आरक्षित श्रेणी		सामान्य श्रेणी		आरक्षित श्रेणी	
							सामान्य श्रेणी	आरक्षण श्रेणी	मानक	पार्क फेसिंग	मानक	पार्क फेसिंग	मानक	पार्क फेसिंग	मानक	पार्क फेसिंग
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	सिविल लाइन्स योजना सं0–2 भाग–2 बदायूँ	27/40 TYPE	50	27	13.91	14.25	1.39	0.70	1.39	2.15	2.09	2.12	0.93	0.89	0.93	0.95
2		42/72 TYPE	21	42	23.24	23.84	2.32	1.16	6.97	8.37	10.46	10.70	1.16	1.10	0.97	1.00
3		62/128 TYPE	45	62	37.91	38.99	3.79	1.90	11.37	13.70	17.06	17.49	1.90	1.79	1.58	1.63
4		85/162 TYPE	60	85	50.78	52.15	5.08	2.54	20.31	23.54	27.93	28.61	2.12	1.96	1.69	1.75
5		75/200 TYPE	6	75	54.43	56.12	5.44	2.72	21.77	25.34	29.94	30.78	2.27	2.11	1.81	1.88
कुल योग			182													

विशेष नोट– योजना में विक्रय हेतु प्रस्तावित भवनो/भूखण्डो के क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाने के उपरान्त कार्नर इत्यादि के भवनो/भूखण्डो की स्थिति में क्षेत्रफल में परिवर्तन की दशा में वास्तविक माप के आधार पर भवनो/भूखण्डो के घोषित विक्रय मूल्य में संशोधन किया जायेगा।

भवन का प्रकार (27 / 40)

SEVOTTAM

UPAVP

ARCHITECTURE AND PLANNING UNIT-2
NEELGIRI COMPLEX,
INDIRA NAGAR LUCKNOW
Email : ap4@upavp.com

DRW. TITLE :-
DRAWING OF HOUSE TYPE - 27/40

SCHEME
YOJNA NO. -2, PART -2, BADAUN .

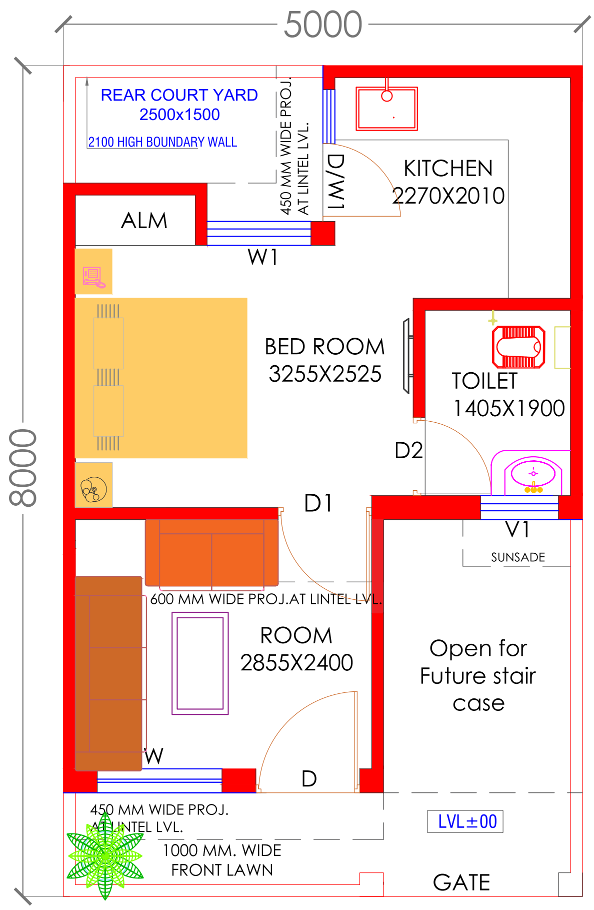

GROUND FLOOR PLAN

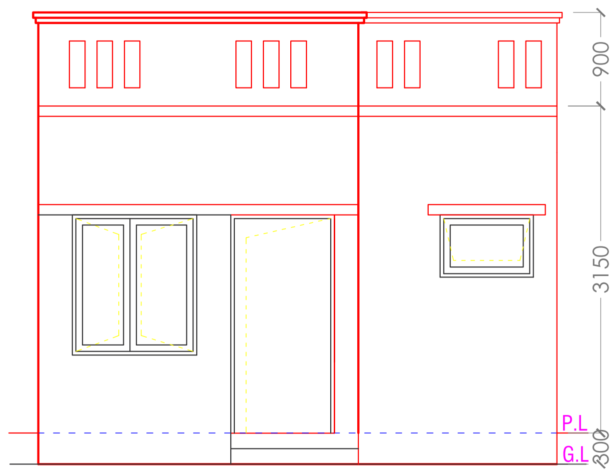

ELEVATION

भवन का प्रकार (42/72)

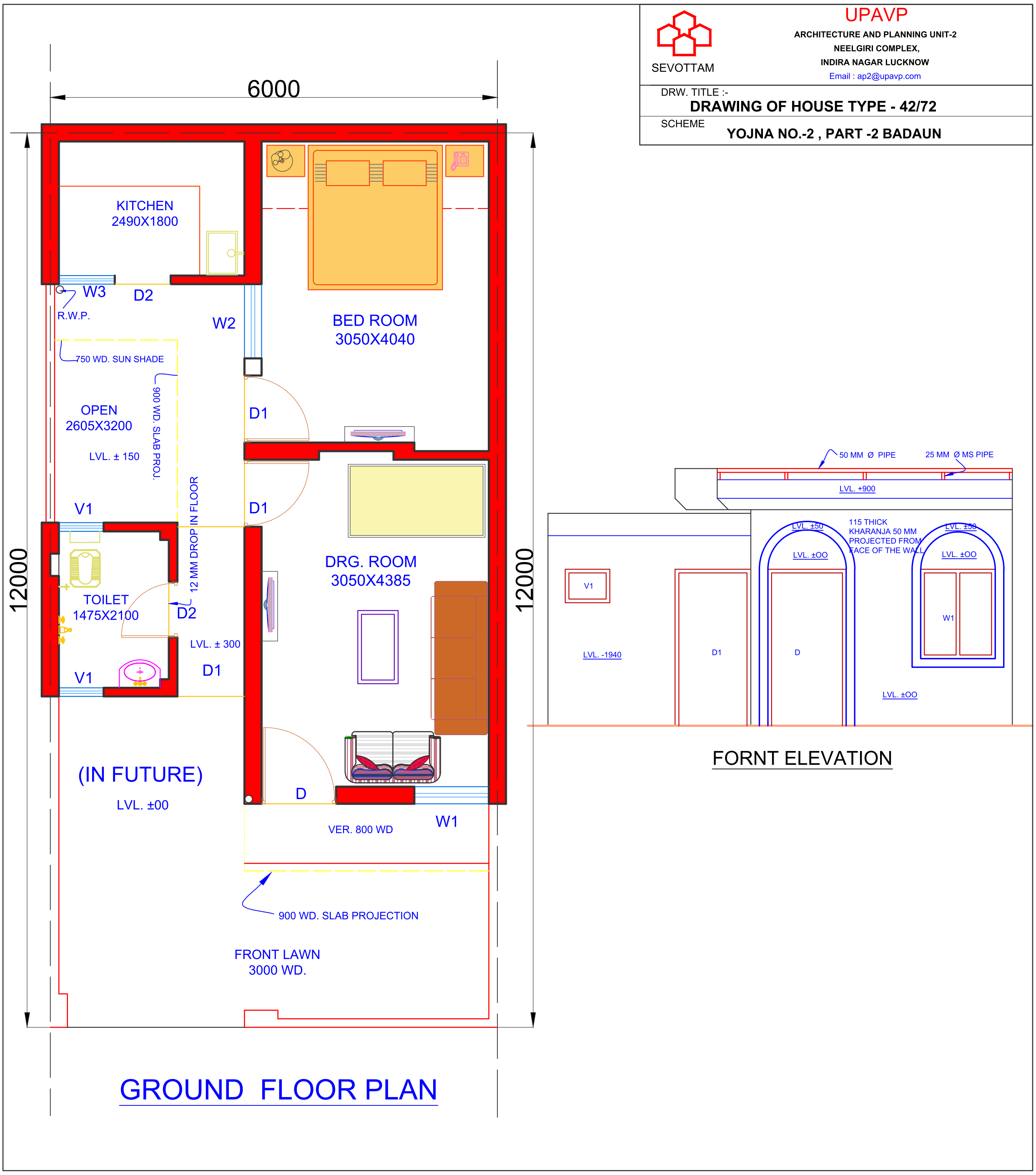

भवन का प्रकार (62/128)

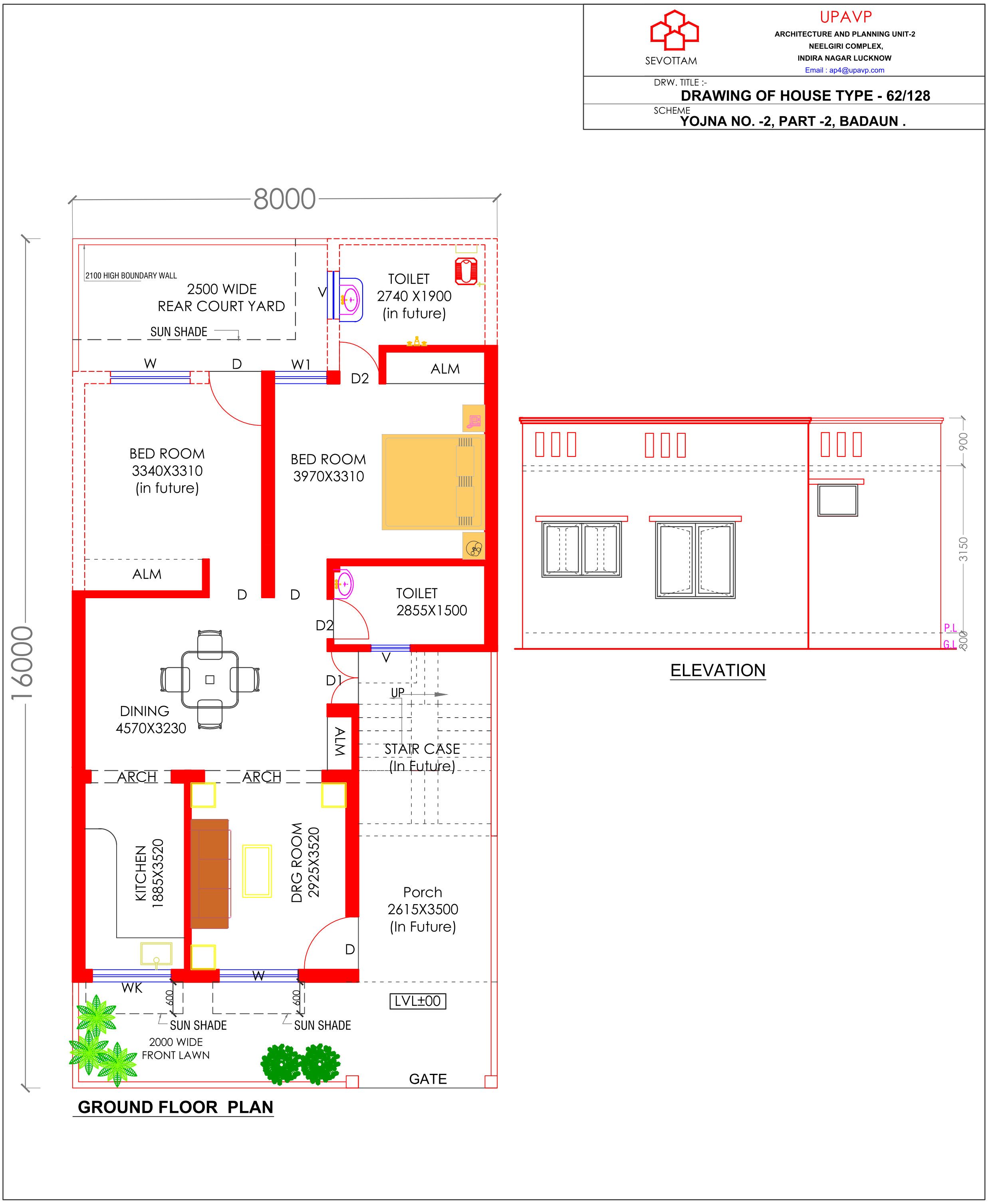

भवन का प्रकार (85/162)

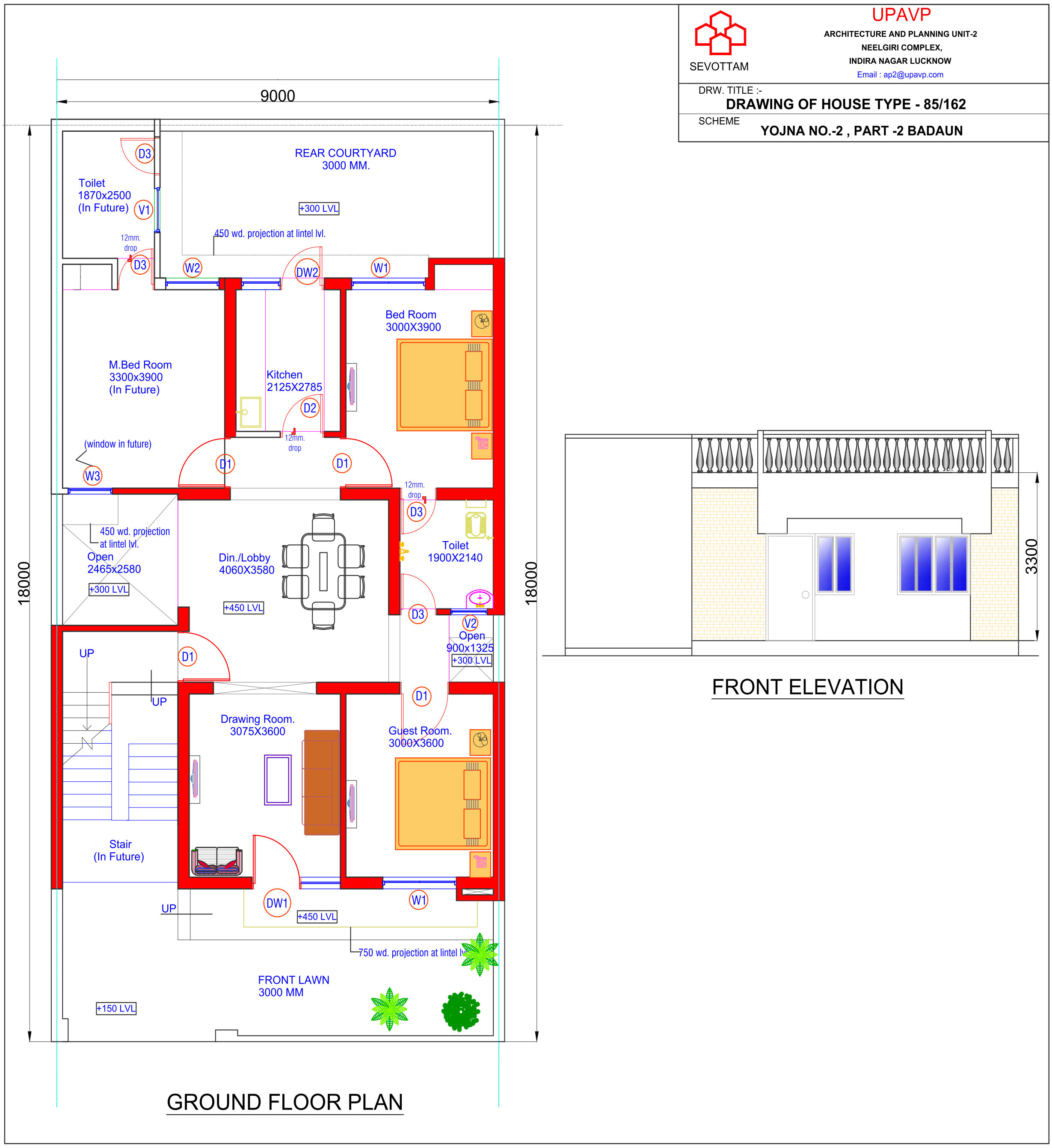

भवन का प्रकार (75/200)

UPAVP
ARCHITECTURE AND PLANNING UNIT-2
NEELGIRI COMPLEX,
INDIRA NAGAR LUCKNOW
Email : ap4@upavp.com
SEVOTTAM

DRW. TITLE :-
DRAWING OF HOUSE TYPE - 75/200

SCHEME
YOJNA NO. -2, PART -2, BADAUN .

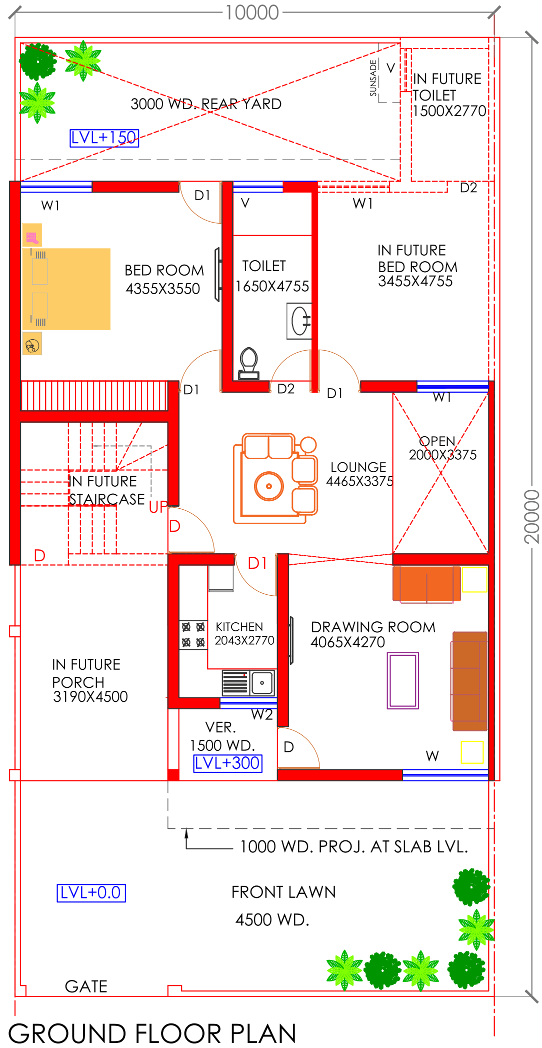

GROUND FLOOR PLAN

SCALE 1:100

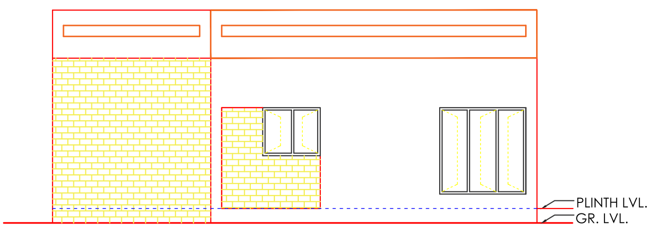

FRONT ELEVATION

SCALE 1:100

DOOR WINDOW SCHEDULE

S.NO.	TYPE	WIDTH	HEIGHT	REMARK
1.	D	1000	2100	SINGLE SHUTTER
2.	D1	1000	2100	DOUBLE SHUTTER
3.	D2	750	2100	SINGLE SHUTTER
4.	W1	1000	1800	CILL AT 300
5.	W	1500	1350	CILL AT 750
6.	WK	1500	1050	CILL AT 1050
7.	V	750	600	CILL AT 2100

भवनों की विशिष्टियाँ
(सेमी फिनिश्ड)

भवनों के निर्माण की पद्धति	लोड बियरिंग वाल
स्ट्रक्चर	आर0सी0सी0 फ्रेमस्ट्रकचर लोड बियरिंग वाल
किचन	कुकिंग प्लेटफार्म आर0सी0सी0
चौखट	चौखट एम.एस. आयरन।
दरवाजे	फ्लस डोर शटर 30 एम.एम. आई.एस.आई. मार्क (बाहरी दरवाजे)
खिड़कियाँ	जेड सेक्शन (ग्रिल सहित)
विद्युत	पी0वी0सी कन्सील्ड कन्ड्यूटिंग।

प्राविधान/शर्तें

1. 36 माह तक अथवा उससे पूर्व परियोजना पूर्ण कर भौतिक कब्जा दिया जाना प्रस्तावित है।
2. भवन की टाइप डिजायन व ले–आउट अपरिवर्तनीय है, अपरिहार्य कारणोंवश किसी परिवर्तन की आवश्यकता होने पर भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा–14 में वर्णित प्रतिबन्धों/व्यवस्थाओं के अधीन परिवर्तन अनुमन्य होगा।
3. पंजीकरण पुस्तिका में अंकित कब्जा दिये जाने की सम्भावित तिथि तक सम्पत्ति निर्माण पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदक की जमा धनराशि पर भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम–2016 के प्राविधानों के अधीन संदेय ब्याज दर पर क्षतिपूर्ति देय होगी।
4. पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त किसी भी विसंगति की स्थिति में भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम–2016 के प्राविधान लागू होगें।

भुगतान का तरीका

5.1 भुगतान की तिथि एवं किश्तो की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

5.2 सम्पत्ति को सार्वजनिक लाटरी ड्रा से आवेदक को आवंटित किया जायेगा।

5.3 प्रदेशन/आवंटन पत्र के अनुसार, निर्धारित अन्तिम तिथि में बैंक में अवकाश होने की स्थिति में बैंक के आगामी कार्य दिवस तक, किश्त की धनराशि/पूर्ण देय धनराशि जमा करने की स्थिति में विलम्ब के कारण उक्त धनराशि पर ब्याज/अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा।

5.4 आवंटी किसी भी समय अवशेष किश्तों की निर्धारित संख्या से कम किश्तों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एकमुश्त जमा करके किश्तों की धनराशि कम करने हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी के स्तर से दी जा सकती है। किश्त पर आवंटित प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एकमुश्त जमा किया जा सकता है।

5.5 सम्पत्ति आंवटन के पश्चात रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट फॉर सेल किया जायेगा जिसका पंजीयन शुल्क आवंटी द्वारा देय होगा। आवंटनोपरान्त एग्रीमेन्ट की schedule-c की समयावधि के अनुसार धनराशि का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा जिसमे एग्रीमेन्ट फॉर सेल के बिन्दु संख्या–1.3 के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

5.6 किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में आवंटी द्वारा परिषद की नोटिस के बावजूद दो लगातार किश्तो में भुगतान में की त्रुटी की दशा में, आवंटी दिनांक 01.10.2022 को एस0बी0आई0 की प्रभावी ब्याज दर MCLR+1% की दर पर ब्याज अदा करेगा। परिषद की नोटिस के बावजूद यदि आवंटी द्वारा लगातार तीन किश्तो के भुगतान में त्रुटी की जाती है तो परिषद द्वारा आवंटन निरस्त किया जायेगा और बुकिंग धनराशि की कटौती के उपरान्त शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी। इसके साथ ही अनुबन्ध निरस्त हो जायेगा।

5.7 समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से RTGS/NEFT एवं ऑनलाइन के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। उक्त धनराशि प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय होगी।

नोट :–

✓ अपरिहार्य परिस्थितियों में भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होती है तो उ0प्र0 भूसम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम 2016, उ0प्र0 भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) नियमावली, 2016 तथा भू–सम्पदा विनियम एवं विकास) (विक्रय/पट्टा के लिये करार) नियमावली 2018 में दिये गये प्राविधानो के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

✓ भूखण्ड का कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद हस्तगत किया जायेगा।

✓ आवंटन में परिषद/शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।

✓ भूखण्ड का कब्जा दिनांक 12.09.2025 तक हस्तगत किया जायेगा। परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में एग्रीमेन्ट फार सेल की शर्तो/प्राविधानो के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। Force Majeure की स्थिति में, किसान आन्दोलन की वजह से हुये विलम्ब पर अथवा ऐसी परिस्थितियाँ जो परिषद के वश मे नही हैं उनमें कब्जा देने की तिथि बढ़ाई जा सकती है जिसमें ब्याज देय नही होगा।

आवंटन नियम

2.1 आरक्षण की सुविधा शासन/परिषद द्वारा नियमानुसार देय होगी।

2.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। उक्त आवंटन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासंभव एक माह में आवेदक के अपने आवेदन मे अंकित किये गये बचत खाते मे आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

2.3 लाटरी ड्रा से एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमे लाटरी ड्रा हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो आवेदक पंजीकृत डाक से/व्यक्तिगत अथवा ई–मेल से कार्यालय को सूचित करेगें, तदनुसार परीक्षण के उपरान्त उसका निराकरण संबंधित, सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा ससमय किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में लाटरी ड्रा की तिथि एवं उसके पश्चात् कोई दावा मान्य नही होगा। अतएव आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

2.4 सम्पत्ति के विरूद्ध प्राप्त पंजीकरण आवेदनों की सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी की पृथक–पृथक सूची तैयार की जायेगी।

2.5 सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी ड्रा के नियत तिथि, समय की सूचना परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी। लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी।

2.6 लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात् परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर यथा सम्भव उसी दिन प्रसारित कर दी जायेगी तथा आवंटन पत्र पंजीकृत डाक/व्यक्तिगत/ऑनलाईन के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

2.7 जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी। उल्लघंन की दशा मे विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही परिषद द्वारा की जायेगी।

2.8 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण लाटरी ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।

2.9 प्रथम चरण मे एकमुश्त भुगतान करने पर प्राप्त आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा। उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति शेष रह जाती है तो किश्तों पर प्राप्त आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लाटरी ड्रा से कार्यवाही की जायेगी।

पंजीकरण हेतु पात्रता

3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

3.2 आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष से कम न हो।

3.3 आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय (एकल भवन/भूखण्ड) के आवंटन हेतु पात्र होगा।

3.4 आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहाँ आवासीय (एकल भवन/भूखण्ड) क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की परिषद द्वारा आवंटित कोई सम्पत्ति न हो तथा उ0प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरीय क्षेत्र में परिषद की एक से अधिक सम्पत्ति न हो।

3.5 स्ववित्त पोषित भवनों तथा भूखण्डों में आय सीमा पर प्रतिबन्धित नही है।

पंजीकरण के नियम

4.1 आनॅलाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुख्यपृष्ठ (Homepage) के लिंक “Online Registration For Houses/plots/flats" पर क्लिक करेंगे।

4.2 इसके पश्चात खुलने वाले वेब–पेज के लिंक “SFS Houses/plots at badaun" पर क्लिक करना होगा।

4.3 आवेदक द्वारा संबंधित योजना की समस्त जानकारियाँ भली–भाँति पढ़कर “Apply Online" लिंक पर क्लिक करना होगा।

4.4 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति–पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है।

4.5 यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

4.6 अनुबन्ध निष्पादन के उपरान्त सम्पत्ति निरस्तीकरण संबंधी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी जिसमें आवंटन पत्र जारी करने के 03 माह भीतर आवंटन निरस्त करने संबंधी आवेदन करने पर पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत, 03 माह पश्चात आवेदन करने पर 50 प्रतिशत कटौती करते हुये शेष धनराशि का 50 प्रतिशत आवंटी को निरस्तीकरण से 45 दिन में एवं शेष 50 प्रतिशत सम्पत्ति के पुर्नजीवन अथवा 1 वर्ष मे से जो भी पहले हो के अनुसार वापस कर दी जायेगी।

4.7 उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तो के अनुसार अनुबंध निष्पादन किया जायेगा। बुकिंग धनराशि जमा करने के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत किया जायेगा। तत्पश्चात अनुबन्ध निष्पादन के उपरान्त धनराशि जमा कराई जायेगी।

4.8 आवेदन पत्र भरने से पूर्व पुस्तिका में दिये गये निर्देशों को भली–भाँति अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

आरक्षण

क्र0 सं0	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकरी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	——————————तदैव————————————
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	——————————तदैव————————————
4	मा0 विधायक/सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकरी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें।
7	दिव्यांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
8	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।

नोट :–उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेगें लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 08 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशो के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

श्रेणी

7.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण–पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन–पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

7.2 उ0प्र0 के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति पात्र नहीं माने जाएंगे उन्हे अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

8.1 असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासंभव एक माह मे आवेदक के अपने आवेदन मे अंकित किये गये बचत खाते मे आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

भवन का भौतिक कब्जा

7.1 मांग पत्र निर्गमन की तिथि से दिनांक 12.09.2025 तक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

7.2 आवंटन लॉटरी में सफल आवेदकों को लाटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रदेशन पत्र निर्गमन की कार्यवाही व्यवहारित की जायेगी। उक्त के उपरान्त सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर विक्रय करार (Agreement for sale) निष्पादित/पंजीकृत कराना होगा।

7.3 विक्रय विलेख एवं पूर्णता प्रमाण पत्र के पश्चात ही कब्जा पत्र निर्गत होगा।

7.4 आवेदक द्वारा नियमानुसार भूखण्ड के मूल्य का भुगतान परिषद खाते में सेलडीड कराने से पूर्व schedule-c के अनुसार करना होगा।

7.5 पूर्णता प्रमाण पत्र एवं कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त कब्जा का प्रस्ताव, प्रेषित करने के बावजूद आवंटी द्वारा 03 माह के भीतर रजिस्ट्री कराकर कब्जा न लेने पर परिषद द्वारा प्लाटेड परियोजनाओं में रू0 1 प्रति वर्गफीट प्रति माह की दर से तथा अपार्टमेन्ट में कारपेट एरिया के आधार पर रू0 2 प्रति वर्गफीट प्रति माह की दर से होल्डिंग चार्ज देय होगा।

तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं/शर्त

11.1 योजना आवासीय है। अतः सम्पत्ति का प्रयोग केवल आवासीय हेतु किया जायेगा। आवंटी को भवन में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही कर विक्रय–विलेख एवं आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

11.2 पंजीकृत की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी के पक्ष में जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा व्यक्ति उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करता हो।

11.3 परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा–उपधारा के रहते हुए भी किन्ही विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

11.4 जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी। उल्लंघन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही परिषद द्वारा की जायेगी।

11.5 शासन/परिषद द्वारा समय–समय पर किये गये परिवर्तन लागू होगें। इस सम्बन्ध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

11.6 किसी भी सम–सामायिक संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा।

एक मुश्त भुगतान विकल्प देने पर

आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र/मांग पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में भवन/भूखण्ड के कुल मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण श्रेणी	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	F
सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O
विस्थापित	W

आरक्षण वर्ग के आवेदकों को सम्पत्ति आवंटन के उपरान्त आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत कराकर देना होगा। उक्त के उपरान्त ही आवंटन पत्र निर्गमन की कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये है, जहॉ–जहॉ वे प्रयुक्त किये गये है, उनके निम्नलिखत अर्थ होगे :–

- **आवेदक का परिवार** : आवेदक के परिवार में पति, पत्नी, अवयस्क पुत्र तथा आवेदक पर पूर्णतया निर्भर अविवाहित पुत्री सम्मिलित होगें।
- **भूखण्ड/भवन** : ''भवन या मकान'' शब्द में ''फ्लैट'' भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।
- **सम्पत्ति** : सम्पत्ति का तात्पर्य विकसित आवासीय भूखण्ड अथवा निर्मित भवन/फ्लैट एवं ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड से है।
- **चरण (पंजीकरण का खुलना)** : इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिए विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।
- **पंजीकरण का दौर** : इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।
- **सरकारी सेवाओं से तात्पर्य** : उ0प्र0 राज्य अथवा राज्याधीन उपक्रम की सेवा में कार्यरत एसे कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो से है।
- **सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य** : सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।
- **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति** : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशार्न्तगत आने वाली जातियों से है।
- **दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्य** : शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दिव्यांग व्यक्ति से है।
- **परिषद कर्मचारी का तात्पर्य** : परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।
- **परिषद का तात्पर्य** : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।
- **विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य** ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।
- **विनियामक प्राधिकरण का तात्पर्य** : उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से है।

रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित समक्ष उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

शपथ -पत्र

समक्ष : आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

मैं श्री/श्रीमती/कु0 .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... उम्र .... निवासी .... शपथ पूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि :–

1. मै एतद्‌वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों शर्तों दशाओं, विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रकिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।

2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चों के उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की किसी भी योजना के अन्तर्गत और उ0प्र0 के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है।

3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे परिवार के नाम परिषद का कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना तुरन्त परिषद को दूँगा/दूँगी।

4. मैं .... यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती .... जो रिश्ते में मेरे/मेरी .... है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता/करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामन्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री/श्रीमती .... जो मेरे/मेरी .... है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता/करती हूँ।

5. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा/करूँगी, यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

6. मैं आवंटन की समस्त शर्तो का पालन करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा पंजीकरण धनराशि जब्त कर लें।

7. मैं एतद्‌वारा शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 6 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जानबूझकर परिषद को दिया है तो मेरे विरूद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने, जो उपयुक्त समझे, अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्‌वारा शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से 7 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक

क्रमांक	बैंक का नाम एवं पता	सम्बन्धित अधिकारी का नाम	दूरभाष नं0
01	आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक	श्री धीरज कुमार	7388199639

योजना के क्रियान्वयन की जानकारी हेतु परिषद के अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं।

श्री भागीरथी
सम्पत्ति प्रबन्धक
बदायूं
मो0न0 : 8795811842

श्री लक्ष्मण प्रसाद
उप आवास आयुक्त
बरेली जोन
मो0न0 : 8795810015

इं0 नवीन कुमार वर्मा
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड रूहेलखण्ड–4 बरेली
मो0–8795811722

इं0 प्रमोद कुमार
अधीक्षण अभियन्ता
रूहेलखण्ड वृत्त
मो0न0: 8795810040

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची

(आरक्षण कोड)

आरक्षण श्रेणी	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
(अनारक्षित) सामान्य वर्ग	04
हारिजेन्टल आरक्षण	**कोड**
विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	F
सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वृद्धजन	O
विस्थापित	W
लिंग	**कोड**
स्त्री	F
पुरूष	M
अन्य	T
संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति–पत्नी)	HW
भुगतान	**कोड**
नगद	01
किश्त	02
सम्पत्ति का प्रकार	**कोड**
मध्यम आय वर्ग	MIG
अल्प आय वर्ग	LIG
दुर्बल आय वर्ग	EWS
उच्च आय वर्ग	HIG

नामांकन पत्र

नामांकन / Nomination

आवेदक का एकल फोटो
अथवा
संयुक्त रूप से पति–पत्नी
आवेदक का स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साइज फोटो
(हस्ताक्षर इस प्रकार किया
जाये कि आधा फोटो
के ऊपर व आधा फार्म
पर हो)

मैं .... यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती .... जो रिश्तों में मेरे/मेरी .... है, को मैं पंजीकरण के नामान्तरण हेतु नामित करता/करती हूँ।

दिनांक : ....

स्थान : ....

आवेदक के हस्ताक्षर

पूर्ण पता ....
....
....

सम्पर्क सूत्र :–

परिषद ई–मेल	:	info@upavp.com
वेबसाइट	:	www.upavp.in
टोल फ्री नम्बर	:	1800-180-5333
जन सुविधा केन्द्र दूरभाष नं0	:	0522-2236803

आनलाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

1. पंजीकरण आवेदन शुल्क रू0 1000 के साथ 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित कुल रू0 1180 आनलाइन जमा करना होगा।
2. आनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक Online Registration For Plot/House/Flats पर क्लिक करना होगा।
3. इसके पश्चात खुलने वाले वेब–पेज के योजनावार पंजीकरण हेतु उपलब्ध लिंक्स में जिस योजना में आवेदन करना है, उस पर क्लिक करना होगा।
4. आवेदक द्वारा सम्बन्धित योजना की समस्त जानकारियाँ भली–भाँति पढ़कर Apply Online लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
5. तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेब पेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से सम्बन्धित मुख्य जानकारियाँ Basic Informations यथा–नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नम्बर, ई–मेल, पैन नम्बर, निवास–पता, आदि विवरण ऑनलाइन अपलोड/फीड किये जायेंगे।
6. उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा Submit बटन पर क्लिक किया जायेगा।
7. Submit करने के उपरान्त आवेदक द्वारा Confirm करने की दशा में उसके अपने ऑनलाइन पंजीकरण से सम्बन्धित विवरण, यूजर आई0डी0/पासवर्ड के साथ–साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा–निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
8. उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक Submit पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण (Step-1) की ई–रसीद (e-Receipt) बटन का प्रिन्ट आउट भविष्य के संदर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
9. आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान अप्लोड करना है। संयुक्त आवेदक (पति–पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ अप्लोड करना अपेक्षित होगा।
10. आवेदन पत्र में अंकित लिंग (SEX) कॉलम मे पुरूष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें। संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति–पत्नी) हेतु 'HW' भरें।
11. आरक्षण की श्रेणी भरने के लिए पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित ''आरक्षण'' नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

पंजीकरण धनराशि का भुगतान

उपरोक्तानुसार ऑनलाईन आवेदन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्राप्त होने वाले प्रिन्ट–आउट में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:–

1. Visit website www.upavp.in & click on link “Online Registration of House/Plots/Flats”
2. Click on concerning scheme’s webpage link.
3. Click ‘Apply online’ link & provide basic details and property.
4. Please verify the registration details and click ‘Confirm’ button.
5. Applicant can pay registration fee instantly, if Payment mode was selected as **Netbanking / Debit / Credit Card.**
6. If applicant selected **‘e-challan’** payment mode, then ‘e-challan’ will be generated.
7. Take the printout of ‘e-challan’ and pay registration fee at nearest **Bank Branch**.

उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा आवेदक को Transaction ID प्रदान की जायेगी।

विस्तृत जानकारी के लिये कृपया परिषद के

1800-180-5333

(टोल फ्री)

0522-2236803

पर सम्पर्क करें या परिषद की वेबसाइट पर लॉगिन करें।